यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा 06/2015 से **05/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **ललित थपलियाल**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री पवन कोठारी, सहायकलेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **रवीन्द्र जयंत**, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **18.06.2018** से **21.06.2018** तक श्री **आर. एस. नेगी**-1, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **परिचयात्मक-** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री टी. एस. नेगी**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ललित थपलियाल**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी**,** एवं श्री सूर्यपाल**,** लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 6/6/2016 से 12/6/2015 तक श्री पुष्कर**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 07/13 से 05/15 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **अल्मोड़ा**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**आधिक्य(+)**	**बचत(-)**
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	4415.8	4147.36	2043.7	1993.1	-	319.04
2016-17	-	-	5499.1	4797.9	2584.5	2491.6	-	794.10
2017-18	-	-	5449.46	5414.00	2524.53	2454.02	-	105.97
2018-19 (अप्रैल 2018 तक)	-	-	6623.03	209.81	162.61	56.07	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः**निरंक**।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः- **शून्य**

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
उप पुलिस अधीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/18, 05/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

प्रस्तरः1- ₹ 4.54 लाख का कम प्रशमन वसूल किया जाना।

परिवहन अनुभाग-1 की अधिसूचना सं. 614/IX-1/81/2015-16 दिनाँक 9/8/16 के अनुसार धारा 179(i) के अनुसार विधिनुसार दिये गए निर्देशों का पालन न करने पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों पर ₹ 500 प्रति वाहन स्वामी कर सकेंगे का प्रावधान है, किन्तु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचना में रू 500.00 प्रशमन न कर कम वसूल किया गया जिसका विवरण निमन्वत है:-

क्र. सं.	थाना का नाम	अवधि	धारा सं.	प्रकरणों की सं.	वसूल की गयी धनराशि	अधिनियम के अनुसार वसूल किया जाना था	कम वसूल की गयी धनराशि
1	चौखुटिया	01/2018 से 19.6.2018 तक	179(1)	167	22,700	83,500	60,800
2	रानीखेत	01/2018 से 19/6/2018 तक	-do-	669	1,04,300	3,34,500	2,30,200
3	दन्या	-do-	-do-	58	9,100	29,000	19,900
4	सोमेश्वर	1/2018 से 5/2018 तक	-do-	341	41,700	1,70,500	1,28,800
5	यातायात अल्मोड़ा	-do-	-do-	47	8,600	23,500	14,900
	कुल			**1282**	**1,86,400**	**6,41,000**	**4,54,600**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 1282 प्रकरणों के विरुद्‌ध ₹ 4,54,600 प्रशमन कम वसूल किया गया।

उक्त को लेखापरीक्षा द्‌वारा इंगित करने पर इकाई द्‌वारा बताया गया कि अधिसूचना का संज्ञान न होने के कारण कम प्रशमन वसूला गया। इस सम्बंध में अब सभी को निर्देशित कर दिया गया है। भविष्य में इस धारा के अंतर्गत निर्धारित दर से प्रशमन वसूला जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II'ब'

प्रस्तरः1- स्वीकृत नियतन से अधिक अधिकारी/कर्मचारियों का कार्यरत रहना।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन के अवलोकन में पाया गया कि 85-अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत नियतन के सापेक्ष अधिक उपलब्ध हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृतनियतन	उपलब्धता	अधिकता
1	पुलिस उपाधीक्षक	01	02	01
2	कानि.(एम)	01	04	03
3	निरीक्षक ना. पु.	07	08	01
4	उ. नि. ना. पु. (पुरुष)	28	50	22
5	उ. नि. ना. पु. (महिला)	04	08	04
6	कानि. ना.पु. (महिला)	55	103	48
7	कानि0 एम. टी.	10	11	01
8	लीडिंग फायरमैन	08	13	05
	योग	114	199	**85**

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त आपत्ति के सम्बंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि जनपद मे स्वीकृत पदो के सापेक्ष उपलब्ध पदो के सम्बंध मे अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदो हेतु वर्ष 2016 उपनिरीक्षक ना. पु./ महिला आरक्षी के पदो हेतु भर्ती आयोजित की गयी जिसमे जनपद हेतु भी उपनिरीक्षक ना. पु. पुरुष/महिला आरक्षीयो को आवंटित किया गया है। जिस कारण जनपद मे कतिपय पदो पर स्वीकृत पदो सापेक्ष कुछ कर्मचारी/ अधिकारी अधिक उपलब्ध है। जनपद मे स्वीकृत पद पूर्व से स्वीकृत है। जिसमे वर्तमान तक कोई संशोधन अब तक नही हुआ है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल 85 अधिक कार्यरत थे एवं इस तैनाती के विरुद्ध कोई स्पष्ट आदेश नहीं था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- निष्प्रयोज्य वाहनों का लंबित रहना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि " Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of."

कार्यालय की निष्प्रयोज्य वाहनों की जांच के दौरान पाया गया कि 6 दोपहिया वाहन कार्यालय में निष्प्रयोज्य अवस्था में थे, जिनका कुल वर्तमान मूल्य ₹ 51,000.00 था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि कंडम की कार्यवाही प्रचलित है तथा कार्यवाही पूर्ण होने पर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः2- लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

गुप्त व्यय से संबन्धित मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका लेखानियम खंड 5 भाग 1 के पैरा 206 के अनुसार स्तम्भ 1 के मामलों में दिये गए अनुप्रमाणित अधिकारी प्रत्येक वर्ष में एक बार स्तम्भ 2 में दिये गए अधिकारी द्वारा नियत व्यय की लेखापरीक्षा की जाए तथा निम्न वर्ष जिससे वह संबन्धित है 31 दिसंबर से को विहित प्रारूप में महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए।

कार्यालय के अ

भिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 तक गुप्त सेवा मद में निम्नवत व्यय किया गया :

वर्ष	**व्यय धनराशि (₹)**
2015-16	40,000
2016-17	1,00,000
2017-18	90,000
योग	**2,30,000**

उपरोक्त धनराशि के गुप्त सेवा मद में व्यय के सापेक्ष लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि गुप्त सेवा धन की लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक नहीं किया गया है और न ही उक्त वित्तीय वर्ष से पहले लेखापरीक्षा किया गया है। अतः उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गुप्त सेवा धन की लेखापरीक्षा भविष्य में कराया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तरसंख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तरसंख्या**	**STAN**
15/2015-16	-	1	-
15/2015-16	-	1	-

ले.प.प्रति.सं.11/2018-19

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री करन सिंह नग्नयाल	पुलिस अधीक्षक	05/10/2014	03/03/2016
2.	श्री करन सिंह नग्नयाल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	03/03/2016	22/09/2016
3.	श्री दलीप सिंह कुँवर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	22/09/2016	16/05/2017
4.	सुश्री पी. रेणुका देवी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	20/05/2017	वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री कांति वल्लभ पांडे	पुलिस उप अधीक्षक	10/05/2015	04/02/2016
2.	श्री अब्बल सिंह रावत	पुलिस उप अधीक्षक	04/02/2016	03/06/2016
3.	श्री रवीन्द्र सिंह टोलिया	पुलिस उप अधीक्षक	03/09/2016	31/01/2018
4.	श्री कमल राम आर्य	पुलिस उप अधीक्षक	01/02/2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

ले.प.प्रति.सं.11/2018-19

सामान्य क्षेत्र